

महाराष्ट्र शासन

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००८/प्र.क्र.६७३/कामगार-७अ

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक : २८ मार्च, २००८

प्रस्तावना :

केंद्र शासनाने दारिद्र्य रेषेखालील असंघटीत कामगारांसाठी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना दिनांक १ ऑक्टोबर २००७ रोजी जाहीर केली आहे. सदर योजना राज्यात राबविणे त्यासाठी जिल्ह्यांची निवड करणे तसेच आवश्यक वित्तीय तरतूद करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

केंद्र शासनाने जाहीर केलेली दारिद्र्य रेषेखालील असंघटीत कामगारांसाठी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना परिशिष्ट अ प्रमाणे राज्यात लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे :-

१. लक्षित लाभार्थी - असंघटित क्षेत्रातील दारिद्र्य रेषे खालील कामगारांचे कुटूंब यामध्ये जास्तीत जास्त ५ जणांचा समावेश राहिल.
२. योजना कार्यान्वित करण्याचा कालावधी - राज्यात सन २००८-०९ पासून प्रत्येक वर्षी ७ जिल्हे या प्रमाणे सन २०१२-१३ पर्यंत एकूण ३५ जिल्ह्यात ही योजना लागू करावयाची आहे. पहिल्या वर्षी यवतमाळ, अमरावती, नांदेड, ठाणे, नागपूर, जळगाव व सोलापूर या जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
३. वित्तीय बाबी - वार्षिक प्रिमियमच्या ७५% रक्कम जास्तीत जास्त रु. ५६५ च्या मर्यादेपर्यंत केंद्र शासन देणार आहे. तसेच योजने अंतर्गत स्मार्ट कार्डची किंमत रु. ६० प्रती कार्ड केंद्र शासन देणार आहे. राज्य शासन वार्षिक प्रिमियमच्या २५% रक्कम तसेच सदर प्रिमियम रक्कम रु. ७५० पेक्षा अधिक असल्यास ही अधिकची रक्कम आणि योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी प्रशासकीय खर्चाची तरतूद करणार आहे. लाभार्थ्यांने प्रती वर्षी रु. ३० नोंदणी /नोंदणीकरण फी म्हणून द्यावयाची आहे.
४. योजने अंतर्गत लाभ :- या विमा योजने अंतर्गत वर्षभरासाठी कुटुंबातील एकूण ५ सदस्यांसाठी रु. ३०,०००/- इतकी आश्वसित रक्कम राहणार आहे. सदर योजने अंतर्गत निश्चित केलेल्या आजारांसाठी रोख रक्कम विरहीत सुविधा असल्यामुळे लाभार्थ्यांला कोणत्याही प्रकारची स्वतःची रक्कम नामिकाप्रविष्ट (Empanelled) दवाखान्यात द्यावी लागणार नाही. रुग्णास दवाखान्यात नेण्या-आणण्यासाठीचा खर्च (प्रत्येक वेळी जास्तीत जास्त रु. १००/- अथवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च) वार्षिक जास्तीत जास्त रु. १,०००/- देय राहिल. त्यासाठी आवश्यक पूर्ती उदा. बस अथवा रेल्वेचे तिकीट इत्यादी सादर करणे आवश्यक आहे.

५. आरोग्य विषयक सुविधा :- शासकीय (ESI सहीत) आणि खाजगी पात्र दवाखाने देखील या योजने अंतर्गत सेवा पुरविण्यास पात्र राहतील. विमा कंपनी नोडल एजन्सीच्या मदतीने वैद्यकीय सेवा पुरविणारे दवाखाने नामिकाप्रविष्ट करतील. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार या दवाखान्यात फोन /फॅक्स, इंटरनेट, स्मार्ट कार्ड रिडर इ. बाबी असणे आवश्यक आहे. स्मार्ट कार्ड व स्मार्ट कार्ड रिडर विमा सेवा पुरविणा-या कंपनीने उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. नामिकाप्रविष्ट दवाखान्यात किमान १० खाटा असणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामिण भागातील सोयीसुविधा लक्षात घेऊन ही संख्या कमीही ठेवता येईल. हे दवाखाने शल्यचिकित्सेसह सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असावीत अथवा या सर्व सेवा उदा. क्ष-किरण, ई.सी.जी., निदान चिकित्सा इ. पुरविणा-यांशी करारबद्ध झालेले असावेत, जेणेकरून पैसे न देता (cashless) लाभार्थीस सुविधा पुरविता येईल.

६. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेची अंमलबजावणी :-


केंद्र शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सुचना व प्रारूप निविदेच्या आधारे राज्य शासनाने निवडलेल्या नोडल एजन्सीमार्फत वर्तमानपत्रात जाहिरात देवून तांत्रिक व आर्थिक निविदांना प्रसिध्दी द्यावयाची आहे व त्या आधारे प्रथम तांत्रिक निविदांचा विचार करून त्यातील निष्कर्षानुसार त्यानंतर आर्थिक निविदांबाबत निर्णय घेऊन नोडल एजन्सीने विमा सहाय्यक कक्षाच्या मदतीने कंपनी निश्चित करावयाची आहे.

७. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांची शासन निर्णय दिनांक २४.०३.२००८ अन्वये नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यांत आली आहे.

८. योजनेसाठी शासन निर्णय दिनांक २४.०३.२००८ अन्वये विमा सहाय्यक कक्षाची स्थापना करण्यांत आली असून त्यामध्ये संचालक, आरोग्य सेवा, उप सचिव (कामगार, वित्त, ग्रामविकास, आरोग्य) व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी इत्यादी यांचा समावेश आहे.

९. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २००८-०९ साठी वित्तीय तरतूद करण्यांत येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(आर.जी.बन्सोड)

प्रधान सचिव (कामगार)

प्रति,

मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,

मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,

मा.राज्य मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,

प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक,

उप सचिव (श्री. पंकज कुमार) यांचे स्वीय सहाय्यक,

कामगार आयुक्त, मुंबई/ विकास आयुक्त (असंघटित कामगार), मुंबई/ आरोग्य महासंचालक, मुंबई

सर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती /नागपूर,

सर्व जिल्हाधिकारी/ सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक

कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागीय व क्षेत्रिय कार्यालये,

मंत्रालयीन सर्व विभाग,

कामगार विभागातील सर्व अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२,

निवड नस्ती (का-७)

परिशिष्ट अ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना
प्रस्तावित जिल्ले व निधीचा तपशील

| अ. क्र. | वर्ष | महसुली विभाग | जिल्हा | दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्या | राज्य शासनाचा वाटा (रु.लाखात) | | केंद्र शासनाचा वाटा (रु.लाखात) | |
|------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | | १०० टक्के नोंदणी | १/३ नोंदणी | १०० टक्के नोंदणी | १/३ नोंदणी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १ | २००८-०९ | अमरावती | यवतमाळ | २५५२७६ | ५१०.५५ | १७०.१८ | १५९५.४८ | ५३१.८३ |
| | | अमरावती | अमरावती | २३७०९१ | ४७४.१८ | १५८.०६ | १४८१.८२ | ४९३.९४ |
| | | औरंगाबाद | नांदेड | १६२५७१ | ३२५.१४ | १०८.३८ | १०१६.०७ | ३३८.६९ |
| | | कोकण | ठाणे | २८२२७० | ५६४.५४ | १८८.१८ | १७६४.१९ | ५८८.०६ |
| | | नागपूर | नागपूर | २७९०७८ | ५५८.१६ | १८६.०५ | १७४४.२४ | ५८१.४१ |
| | | नाशिक | जळगांव | ३१४७८७ | ६२९.५७ | २०९.८६ | १९६७.४२ | ६५५.८१ |
| | | पुणे | सोलापूर | १९९०९० | ३९८.१८ | १३२.७३ | १२४४.३१ | ४१४.७७ |
| | | | एकूण | | १७३०१६३ | ३४६०.३३ | ११५३.४४ | १०८१३.५२ |
| २ | २००९-१० | अमरावती | बुलढाणा | २१०२०५ | ४२०.४१ | १४०.१४ | १३३३.७८ | ४३७.९३ |
| | | औरंगाबाद | औरंगाबाद | १४२५२८ | २८५.०६ | ९५.०२ | ८९०.८० | २९६.९३ |
| | | औरंगाबाद | बीड | १२८३८४ | २५६.७७ | ८५.५९ | ८०२.४० | २६७.४७ |
| | | कोकण | रत्नागिरी | १२७९६७ | २५५.९३ | ८५.३१ | ७९९.७९ | २६६.६० |
| | | नागपूर | चंद्रपूर | २०३६०३ | ४०७.२१ | १३५.७४ | १२७२.५२ | ४२४.१७ |
| | | नाशिक | नाशिक | ३०१८६५ | ६०३.७३ | २०९.२४ | १८८६.६६ | ६२८.८९ |
| | | पुणे | पुणे | १२८४६२ | २५६.९२ | ८५.६४ | ८०२.८९ | २६७.६३ |
| | | | एकूण | | १२४३०१४ | २४८६.०३ | ८२८.६८ | ७७६८.८४ |
| ३ | २०१०-११ | अमरावती | अकोला | १३६८२३ | २७३.६५ | ९१.२२ | ८५५.१४ | २८५.०५ |
| | | औरंगाबाद | लातूर | ११३२५३ | २२६.५१ | ७५.५० | ७०७.८३ | २३५.९४ |
| | | कोकण | रायगड | ११३३१९ | २२६.६४ | ७५.५५ | ७०८.२४ | २३६.०८ |
| | | नागपूर | गोंदिया | १५५००० | ३१०.०० | १०३.३३ | ९६८.७५ | ३२२.९२ |
| | | नागपूर | गडचिरोली | ११४९९८ | २३०.०० | ७६.६७ | ७१८.७४ | २३९.५८ |
| | | नाशिक | अहमदनगर | १९३३६९ | ३८६.७४ | १२८.९१ | १२०८.५६ | ४०२.८५ |
| | | पुणे | कोल्हापूर | ११०९७५ | २२१.९५ | ७३.९८ | ६९३.५९ | २३१.२० |
| | | | एकूण | | ९३७७३७ | १८७५.४७ | ६२५.१६ | ५८६०.८६ |
| ४ | २०११-१२ | अमरावती | वाशिम | १०००८६ | २००.१७ | ६६.७२ | ६२५.५४ | २०८.५१ |
| | | औरंगाबाद | परभणी | १०५९९२ | २११.९८ | ७०.६६ | ६६२.४५ | २२०.८२ |
| | | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | १०३७२२ | २०७.४४ | ६९.१५ | ६४८.२६ | २१६.०९ |
| | | कोकण | सिंधुदुर्ग | ७४१२५ | १४८.२५ | ४९.४२ | ४६३.२८ | १५४.४३ |
| | | नागपूर | भंडारा | १२६७९९ | २५३.६० | ८४.५३ | ७९२.४९ | २६४.१६ |
| | | नाशिक | धुळे | १८५९१९ | ३७१.८४ | १२३.९५ | ११६१.९९ | ३८७.३३ |
| | | पुणे | सातारा | ९०६८७ | १८१.३७ | ६०.४६ | ५६६.७९ | १८८.९३ |
| | | | एकूण | | ७८७३३० | १५७४.६६ | ५२४.८९ | ४९२०.८१ |
| ५ | २०१२-१३ | औरंगाबाद | जालना | ११०३४१ | २२०.६८ | ७३.५६ | ६८९.६३ | २२९.८८ |
| | | औरंगाबाद | हिंगोली | ७०४७१ | १४०.९४ | ४६.९८ | ४४०.४४ | १४६.८१ |
| | | कोकण | बृहन्मुंबई | २७३३१ | ५४.६६ | १८.२२ | १७०.८२ | ५६.९४ |
| | | नागपूर | वर्धा | १०३१५४ | २०६.३१ | ६८.७७ | ६४४.७१ | २१४.९० |
| | | नाशिक | नंदुरबार | १८३२३८ | ३६६.४८ | १२२.१६ | ११४५.२४ | ३८१.७५ |
| | | पुणे | सांगली | ७३१७४ | १४६.३५ | ४८.७८ | ४५७.३४ | १५२.४५ |
| | | | एकूण | | ५६७७०९ | ११३५.४२ | ३७८.४७ | ३५४८.१८ |
| महाराष्ट्र राज्य एकूण | | | | ५२६५९५३ | १०५३१.९१ | ३५१०.६४ | ३२९१२.२१ | १०९७०.७४ |